मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ऋषभदेव

**पीठासीन अधिकारी :– शैलेष सुराणा (RAS)**

उनवान

1. श्री धर्मचन्द पिता नानजी मीणा
2. श्री प्रेमचन्द पिता मरता मीणा
3. श्रीमती पुंजी देवी पत्नि कांतिलाल मीणा
समस्त निवासी आबनकाड, ग्रा.प. माण्डवाफला कागदर, तहसील ऋषभदेव

बनाम

1. श्री लक्ष्मण पिता लिम्बा मीणा,
निवासी आबनकाड, ग्रा.प. माण्डवाफला कागदर, तहसील ऋषभदेव

दावा बाबत :– धारा 188, RT ACT 1955
मुकदमा नम्बर :–2/2016 राजस्व वाद
निर्णय दिनांक :–01.06.2016

वादीगण की ओर से **श्री धर्मचन्द वगैरहा** की व प्रतिवादी की ओर से श्री **लक्ष्मण** की उपस्थिति में इस वाद में आज **तारीख 01.06.2016** को **शैलेष सुराणा** (नाम पीठासीन अधिकारी) **उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – उभय पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति तथा लोक अदालत की भावना से निष्पादित राजीनामा प्रपत्र के आधार पर इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा आबनकाड की वादीगण की वादग्रस्त वर्तमान आराजी नं. 4817/4615 रकबा 1.34 हेक्टेयर व आराजी नं. 4812/4612 रकबा 0.16 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.50 हेक्टेयर खातेदारी भूमि में प्रतिवादी तथा प्रतिवादी की वर्तमान आराजी नं. 4615 रकबा 0.65 हेक्टेयर सहखातेदारी भूमि में वादीगण जबरन प्रवेश/दस्तन्दाजी/नुकसान नही पहुंचायेंगे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख **01.06.2016** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

01.06.16

(शैलेष सुराणा)
(पीठासीन अधिकारी)
उपखंड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
ऋषभदेव

वाद के खर्चे

| वादीगण | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रूपया | | रूपया |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प<br>4. ...........रूपये पर प्लीडर की फीस<br>5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय<br>6. कमिश्नर की फीस<br>7. आदेशिका की तामिल | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | |
| जोड | 00 | जोड | 00 |